Mukhyamantri Antyodaya Parivar Utthan Yojana

Schemes Booklet

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जुड़े विभाग

1. **हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम** ……6

   i. कृषि क्षेत्र (बैंक टाईअप)
   ii. औद्योगिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)
   iii. व्यापारिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)
   iv. व्यवसायिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)
   v. महिला अधिकारिता योजना (नेशनल सफाई कर्मचारी योजना फाइनेस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)
   vi. महिला समृद्धि योजना (एन.एस.के.एफ.डी.सी.)
   vii. सावधि ऋण (एन.एस.के.एफ.डी.सी.)
   viii. सूक्ष्म ऋण योजना (एन.एस.के.एफ.डी.सी.)

2. **हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम** 14

   i. पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्वरोज़गार योजना
   ii. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए सावधि ऋण योजना
   iii. दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु ऋण योजना

3. **पशुपालन और डेयरी विभाग** …..17

   i. हाइटेक डेयरी/मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए योजना
   ii. पशुधन इकाइयों की स्थापना करके अनुसूचित जातियों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए योजना
   iii. सामान्य/ओ.बी.सी वर्ग के लिए सूकर/भेड़ व बकरी इकाई की स्थापना करके रोजगार के अवसर प्रदान के लिए योजना
   iv. बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयों की स्थापना के लिए योजना

4. **हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लि.** 20

   i. वीटा बूथों का आवंटन

5. **हरियाणा महिला विकास निगम** …..21

   i. विधवाओं के लिए अनुदान योजना
   ii. व्यक्तिगत ऋण योजना

6. **हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्** 23

i. ब्यूटी केयर प्रशिक्षण

ii. कम्प्यूटर प्रशिक्षण

iii. सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण

7. **हरियाणा कौशल विकास निगम** 25

i. सूर्या योजना

ii. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

iii. चालक प्रशिक्षण

8. **रोज़गार विभाग** 27

i. सक्षम युवा योजना

ii. मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (MMAPUY) के अंतर्गत निजी क्षेत्र में रोजगार

9. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय** 29

i. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

ii. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना

10. **हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड** 31

i. हर–हित रिटेल स्टोर

11. **उद्यान विभाग** 33

i. मधुमक्खी पालन

ii. मशरूम की खेती

12. **मत्स्य पालन विभाग** 35

i. मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों के परिवार का कल्याण

ii. मछली पालन/प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

13. **हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** 37

i. ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण योजना

ii. दीनदयाल अंत्योदय योजना

iii. दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल योजना

14. **ग्रामीण विकास विभाग** 40

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा)

15. **हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी** 41

i. होम नर्सिंग प्रशिक्षण

16. **इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** 42

i. कॉमन सर्विस सेंटर

17. **शहरी स्थानीय निकाय विभाग** 43

i. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

ii. पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना (पी.एम. स्वनिधि)

18. **विकास एवं पंचायत विभाग** 45

i. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

ii. हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

iii. नाबार्ड प्रायोजित कार्य

iv. हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासनिक बोर्ड कार्य

v. ग्रामनिधि, पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान और राज्य वित्त आयोग अनुदान कार्य

vi. हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जलप्रबंधन प्राधिकरण के तहत तालाब जीर्णोद्धार कार्य

vii. महिला एवं बाल विकास, खेल, पशुपालन आदि विभिन्न विभागों के जमा कार्य

प्राक्कथन

मेरे प्रिय हरियाणावासियों!

गरीब और गरीबी इन दोनों शब्दों को सुनते ही किसी भी संवेदनशील व्यक्ति में दयनीयता का भाव आ जाता है। इसीलिए सदियों से हमारी संस्कृति में गरीब की मदद करने की परंपरा रही है। सरकार का भी संवैधानिक व नैतिक दायित्व होता है कि वह गरीबों की मदद करे ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

वर्ष 2014 में जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तभी से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान हमारी पहली प्राथमिकता रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में 'सबका साथ–सबका विकास' के मूलमंत्र और पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवनस्तर ऊपर उठाने के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। इसके लिए हमने परिवार को इकाई माना है और सबसे गरीब परिवारों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया है। यही नहीं, ऐसे परिवारों के लिए विशेष रूप से 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान' चलाया है।

इस अभियान के अंतर्गत परिवार पहचान–पत्र से डाटा का सत्यापन करके गरीब परिवारों की पहचान की जाती है। इसमें गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रूपये करने का लक्ष्य है। पहले चरण में एक लाख सबसे गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 1 लाख रूपये वार्षिक से कम आय वाले 50 हजार परिवारों की पहचान की गई है। इनमें से 19 हजार परिवार तो ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रूपये से भी कम है। इन परिवारों की कम से कम 1 लाख रूपये वार्षिक आय सुनिश्चित करने के लिए इनके रोज़गार व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम वर्ष 2025 तक प्रदेश के सभी परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपये करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस उद्देश्य से विभिन्न विभागों की योजनाओं को 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान' में शामिल किया गया है। इन्हें https://parivarutthan.haryana.gov.in पोर्टल पर हर व्यक्ति के लिए सुलभ कराया गया है। इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा, उनकी पात्रता व लाभ का विवरण दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है।

इन्हीं योजनाओं का विवरण इस पुस्तिका में दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। मैं ऐसे परिवारों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने लिए अनुकूल योजना का चयन कर उसका लाभ उठाएं।

जय हरियाणा, जय हिंद

आपका

मुख्यमंत्री, हरियाणा

1.

हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम

1.1 कृषि क्षेत्र (बैंक टाईअप)

कृषि क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न आय सृजन योजनाओं में 1,50,000/-रू0 तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया जाता है। पशुपालन–कृषि क्षेत्र में यह योजनाएं आती हैं:– सूअर पालन, मुर्गी पालन, पशुचालित गाड़ी जैसे झोटा बुग्गी/ऊँट रेढ़ा/बैल इत्यादि, भेड़/बकरी पालन, नलकूप लगाना।

पात्रता :–

- प्रार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- वर्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रूपये तक या उससे कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति का हो।
- उम्मीदवार का नाम बी.पी.एल सूची में होना चाहिए।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ :–

- कृषि क्षेत्र के विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रूपये है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– http://hsfdc.org.in

1.2 औद्योगिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)

यह निगम अनुसूचित जाति के परिवारों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 49,000/–रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 60,000/–रू0 तक हो उन्हें आय उपार्जन योजनाओं हेतु लघु उद्योग स्थापित करने हेतु 1,50,000/- रू0 तक का ऋण 4–6 प्रतिशत तक (स्कीम की प्रकृति अनुसार) की ब्याज की दर पर

उपलब्ध करवाता है। एम.एम.ऐ.पी.यू.वाई के तहत अंत्योदय परिवार कुछ इस प्रकार की गतिविधियों के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत अप्लाई कर सकता है:–

बढई गिरी
लुहार गिरी
हथकरधा
लकड़ी का काम/ आरा मशीन
खिलौना बनाना
साबुन बनाना
मोटर/साईकिल के पुर्जे बनाना
तेल का कोल्हू
आटा चक्की
मोमबती बनाना
माचिस बनाना
टायर रिट्रडिंग
चमड़ा व चमड़े के कार्य
खण्डशारी या गुड़ बनाना
ब्रास हार्डवेयर
दरी बनाना
चीनी के बर्तन बनाना
छापा–खाना
हाथ से बुनने की मशीन
पालीथीन/कागज के लिफाफे बनाना
लेथ कार्य
वैल्डिंग
टरनर कार्य
ग्राईडिंग
मिक्सी बनाना
मोटर/मोटर साईकिल की मुरम्मत

पात्रता :–

- प्रार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- वर्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रूपये तक या उससे कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति का हो।
- उम्मीदवार का नाम बी.पी.एल सूची में होना चाहिए।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ :–

- औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार तथा व्यवसायिक क्षेत्रों के विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है
- प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रूपये है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– http://hsfdc.org.in

1.3 व्यापारिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)

यह निगम अनुसूचित जाति के परिवारों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 49,000/–रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 60,000/–रू0 तक हो उन्हें आय उपार्जन योजनाओं हेतु लघु उद्योग स्थापित करने हेतु 1,50,000 रू0 तक का ऋण 4–6 प्रतिशत तक (स्कीम की प्रकृति अनुसार) की ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाता है। व्यापारिक क्षेत्र में यह गतिविधियां आती हैं:–

चाय की दुकान
दवाईयों की दुकान
मिठाई की दुकान
फलों की दुकान
पान की दुकान
खेल के समान की दुकान
आटोरिक्शा/साईकिल रिक्शा की मुरम्मत की दुकान
क्रोकरी की दुकान
स्टेशनरी की दुकान
खाद की दुकान
ऊन का व्यापार
लकड़ी की टाल
सोफ्ट ड्रिंक्स की एजेंसी
कोयले का डिपो
तूड़ी की टाल
सीमेंट की दुकान
कबाड़ी की दुकान
ड्राईक्लीनर की दुकान
फोटोग्राफी
किताबों की दुकान
घड़ी मुरम्मत की दुकान

जूता मुरम्मत
रेडियो/टी0वी0 मुरम्मत की दुकान
करियाना की दुकान
होटल/ढाबा/हलवाई की दुकान
कुकिंग गैस/गैस स्टील मुरम्मत
कपड़े की दुकान
ठेकेदारी
टायर डीलर
खोखा

पात्रता :–

- प्रार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- वर्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रूपये तक या उससे कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति का हो।
- उम्मीदवार का नाम बी.पी.एल सूची में होना चाहिए।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ :–

- व्यापार क्षेत्र के विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रूपये है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– http://hsfdc.org.in

1.4 व्यवसायिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)

यह निगम अनुसूचित जाति के परिवारों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 49,000/–रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 60,000/–रू0 तक हो उन्हें आय उपार्जन योजनाओं हेतु लघु उद्योग स्थापित करने हेतु 1,50,000/- रू0 तक का ऋण 4–6 प्रतिशत तक (स्कीम की प्रकृति अनुसार) की ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाता है। एम.एम.ऐ.पी.यू.वाई के तहत अंत्योदय परिवार व्यवसायिक क्षेत्र में इन गतिविधियों के लिए अप्लाई कर सकते है– ई–रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, आटो रिक्शा (डीजल/पैट्रोल), इत्यादि।

पात्रता :–

- प्रार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- वर्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रूपये तक या उससे कम होनी चाहिए।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति का हो।
- उम्मीदवार का नाम बी.पी.एल सूची में होना चाहिए।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ :–

- व्यवसायिक क्षेत्र के विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रूपये है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– http://hsfdc.org.in

1.5 महिला अधिकारिता योजना (नेशनल सफाई कर्मचारी योजना फाइनेस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

यह स्कीम महिला सफाई कर्मचारी या उनके आश्रित के लिए है। महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है।

पात्रता :–

- प्रार्थी महिला हो, महिला सफाई कर्मचारी हो या उसका आश्रित होना चाहिए।
- महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन विभाग के कम से कम राजपत्रित अधिकारी से अथवा नगर निकाय/निगम निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रधान, स्थानीय राजस्व आधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आय की कोई सीमा नही है।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ :–

- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, टेलर शॉप, सौंदर्य प्रसाधन शॉप, चूड़ी शॉप आदि खोलने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की सीमा 2 लाख रूपये तक है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रूपये है।

1.6 महिला समृद्धि योजना (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) :

इस योजना के तहत महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, टेलर शॉप, सौंदर्य प्रसाधन शॉप, चूड़ी शॉप आदि हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की सीमा 1,00,000/–रू0 तथा ब्याज की दर 4 प्रतिशत है।

लाभ :

- एन.एस.के.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम महिला समृद्धि योजना के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 1,00,000/– रू. तक है ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/–रूपये है।

पात्रता :

- महिला
- महिला प्रार्थी सफाई कर्मचारी/उनके आश्रित होना चाहिये ।
- महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे (स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, जिनका रैंक राजपत्रित अधिकारी से कम न हो), नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का कोई अधिकारी,) जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए ।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
- प्रार्थी की आयु 18–55 वर्ष तक होनी चाहिये ।

1.7 सावधि ऋण (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) :

इस योजना के तहत आटो रिपेयर शॉप व इलैक्ट्रिकल शॉप, चमड़े के जूते आदि बनाने की युनिट, ब्यूटी पार्लर, वैल्डिंग वर्क शॉप, फोटो स्टुडियो, किरयाना स्टोर, रेडिमेट कपड़े की दुकान, साईबर कैफे, टैन्ट हाउस आदि की दुकान खोलने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण 3,00,000/–रू. तथा ब्याज की दर 6 प्रतिशत है।

लाभ :

- एन.एस.के.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम सावधि योजना के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 1,00,000/– रू0 तक है ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/–रूपये है।

पात्रता :

- प्रार्थी सफाई कर्मचारी/उनके आश्रित होना चाहिये ।
- प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे (स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, जिनका रैंक राजपत्रित अधिकारी से कम न हो), नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का कोई अधिकारी,) जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए ।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
- प्रार्थी की आयु 18–55 वर्ष तक होनी चाहिये ।

1.8 सूक्ष्म ऋण योजना (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) :

इस योजना के तहत महिलाओं/पुरूषों को करियाणा की दुकान, कपड़े की दुकान, ब्यूटी पार्लर, टेलर शॉप, सौंदर्य प्रसाधन शॉप, चूड़ी शॉप, मोची का कार्य आदि हेतू ऋण उपलब्ध कराया जाता है । ऋण की सीमा 1,00,000/– रू. तथा ब्याज की दर 5 प्रतिशत है।

लाभ :

- एन.एस.के.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम सूक्ष्म ऋण योजना के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 1,00,000/– रू. तक है ।

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/–रूपये है।

पात्रता :

- प्रार्थी सफाई कर्मचारी/उनके आश्रित होना चाहिये ।
- प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे (स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, जिनका रैंक राजपत्रित अधिकारी से कम न हो), नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय का कोई अधिकारी,) जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए ।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
- प्रार्थी की आयु 18–55 वर्ष तक होनी चाहिये ।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें– http://hsfdc.org.in

2.

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम

2.1 पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्वरोज़गार योजना

राज्य सरकार ने दिसंबर 1980 में पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (एच.बी.सी.के.एन) की स्थापना की। यह निगम विभिन्न आय सृजन योजनाओं के तहत पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना हरियाणा के पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए है, जो स्वरोज़गार में शामिल होना चाहते है या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

पात्रता :–

- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- आयु 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 3 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।
- 6% की ब्याज दर।

लाभ :–

- ऋण लेने के बाद आवेदक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर आय अर्जित कर सकते है।

प्रार्थी को वार्षिक वित्तीय लाभ :–

- 50 हजार रूपये तक की न्यूनतम ऋण राशि के साथ, लाभार्थी लगभग 60 हजार रूपये से 80 हजार रूपये सालाना कमा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– http://hbckn.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

2.2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए सावधि ऋण योजना

राज्य सरकार ने दिसंबर 1980 में पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (एच.बी.सी.के.एन) की स्थापना की है। यह निगम विभिन्न आय

सृजन योजनाओं के तहत पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना हरियाणा के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए है, जो स्वरोज़गार में शामिल होना चाहते हैं या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

पात्रता :–

- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय सिक्ख, इसाई, बौद्व, मुस्लिम, पारसी व जैन समुदाय से सम्बन्ध रखता हो।
- आयु 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 98 हजार रूपये और शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।
- 6% की ब्याज दर।

लाभ :–

- ऋण लेने के बाद आवेदक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर आय अर्जित कर सकते है।

प्रार्थी को वार्षिक वित्तीय लाभ :–

- 50 हजार रूपये की न्यूनतम ऋण राशि के साथ, लाभार्थी लगभग 60 हजार से 80 हजार रूपये सालाना कमा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– http://hbckn.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

2.3 दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु ऋण योजना

इस योजना के तहत आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य किसी भी गतिविधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय सृजन में योगदान देना या सशक्तिकरण की उनकी समग्र प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करना है। इसके अन्तर्गत दिव्यांग जनों को स्वरोजगार, ट्रेडिन्ग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के व्यवसायों के लिए ऋण दिया जाता है।

पात्रता :–

- हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए।

- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मानसिक मंदता वाले व्यक्ति के मामले में 18 वर्ष की आयु के स्थान पर 14 वर्ष तक के लोगों को सुविधा दी जाती है।
- 1लाख तक 5% और उससे अधिक राशि पर 6% की ब्याज दर।

लाभ :–

- ऋण लेने के बाद आवेदक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर आय अर्जित कर सकते है।

प्रार्थी को वार्षिक वित्तीय लाभ :–

- 50 हजार रूपये की न्यूनतम ऋण राशि के साथ, लाभार्थी लगभग 60 हजार से 80 हजार रूपये सालाना कमा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– http://hbckn.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

3.

पशुपालन और डेयरी विभाग

3.1 हाइटेक डेयरी/मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए योजना

यह एक क्रेडिट लिंक्ड योजना है, जो राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने और राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्यों के साथ लागू की गई है।

पात्रता :–

- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं।

लाभ :–

- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दो दुधारू पशुओं की डेयरी की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद पर 25 प्रतिशत राशि (दुधारू पशु की नाबार्ड द्वारा नीयत की गई कीमत अनुसार) अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

3.2 पशुधन इकाइयों की स्थापना करके अनुसूचित जातियों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए योजना

यह एक क्रेडिट लिंक्ड योजना है, जो राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को पशुपालन क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ लागू की गई है।

पात्रता :–

- हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार और अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं।

लाभ :–

1. **दो दुधारू पशुओं की डेयरी की स्थापनाः** यह योजना बैंक ऋण से जुड़ी हुई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दो दुधारू पशुओं की डेयरी की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद पर 50 प्रतिशत राशि (दुधारू पशु की नाबार्ड द्वारा नीयत की गई कीमत अनुसार) अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
2. **सूअर इकाई की स्थापनाः** यह योजना बैंक ऋण से जुड़ी हुई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10+1 सूकर इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 50000/– रूपये है।
3. **भेड़/बकरी इकाई की स्थापनाः** यह योजना बैंक ऋण से जुड़ी हुई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 15+1 भेड़/बकरी इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद पर 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 88,200/– रूपये है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– https://saralharyana.gov.in

3.3 सामान्य/ओ.बी.सी वर्ग के लिए सूकर/भेड़ व बकरी इकाई की स्थापना करके रोजगार के अवसर प्रदान के लिए योजना

यह योजना सामान्य और ओ.बी.सी. वर्ग के व्यक्तियों के लिए सूकर/भेड़ व बकरी इकाईयों की स्थापना के लिए है।

पात्रता :–

- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं।

लाभ :–

1. **सूअर इकाई की स्थापनाः** यह योजना बैंक ऋण से जुड़ी हुई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10+1 सूकर इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद पर 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 25000/– रूपये है।

2. **भेड़/बकरी इकाई की स्थापनाः** यह योजना बैंक ऋण से जुड़ी हुई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 15+1 भेड़/बकरी इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद पर 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 24,500/– रूपये है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखेंः– https://saralharyana.gov.in

3.4 बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयों की स्थापना के लिए योजना

प्रत्येक परिवार को राजकीय हैचरी फार्म से 10 दिन की आयु के 50 कुक्कुट पक्षी बच्चे एवं दो फीडर व दो ड्रिंकर मुफ्त में लाभार्थी के घर–द्वार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

पात्रता :–

- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता अपना आवेदन संबंधित जिले के उपनिदेशक/उपमण्डल कार्यालय में जमा करवा सकता है।

लाभ :–

- देसी मुर्गी के 10 दिन की आयु के 50 चूजे व दो फीडर व दो पानी के बर्तन (ड्रिंकर) मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाते हैं।

प्रार्थी आवेदन करेंः – अपने गांव के नजदीकी पशु अस्पताल में सम्पर्क करें।

4.

हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लि.

4.1 वीटा बूथों का आवंटन

हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड़ की स्थापना हरियाणा के दुध उत्पादकों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए थी विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों से संबंधित दूध उत्पादों में दूध की खरीद और प्रसंस्करण और स्वंय या अपनी यूनियनों के माध्यम से विपणन करके। उपरोक्त उददेश्यों को आगे बढ़ाने के लिए फेडरेशन दुग्ध संघों के लिए वीटा ब्रांड की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। यह कर्मियों, तकनीकि, विपणन और वित्तीय प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में यूनियनों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और साथ ही विभिन्न उत्पादों के प्रयोगशाला परीक्षण के आधुनिक तरीकों के उपयोग के माध्यम से उन्हें गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाता है।

पात्रता :–

- आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक उस जिले का निवासी होना चाहिए, जहां वीटा बूथ के लिए आवेदन कर रहा है।
- आवेदक के पास कम से कम 50 हजार रूपये का बैंक बैलेंस होना चाहिए।
- मौजूदा बूथ होल्डर आवेदन करने के पात्र नही है।

बी0पी0एल0 श्रेणी के लिए:–

- जमानत राशि में पूरी तरह से छूट दी जाएगी।
- आबंटी को विजी कूलर/डीप फ्रीजर 5000/– रूपये प्रत्येक की जमानत राशि जमा करने पर उपलब्ध करवाए जाते है।
- बूथ की 50 प्रतिशत निर्माण लागत संबंधित दूध संघ द्वारा वहन की जाएगी।
- आवेदन फार्म शुल्क की लागत 100 रूपये होगी।

लाभ :–

- वीटा बूथ खोल कर आवेदक बिक्री अनुसार लाभ ले सकता है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– vitaindia.org.in

5.

हरियाणा महिला विकास निगम

5.1 विधवाओं के लिए अनुदान योजना

हरियाणा सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई थी, जिसे हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए लागू किया जा रहा है। एम.एम.ए.पी.यू.वाई के तहत प्राथमिकता वाले विधवा आवेदकों के लिए, विभाग आवेदन पत्र भरने, बैंक ऋण की सुविधा आदि मे सहायता प्रदान करता है। इसका उपयोग सामान्य स्टोर, परचून स्टोर, सब्जी की दुकान, सौंदर्य प्रसाधन की दुकान, सिलाई की दुकान, सौंदर्य पार्लर, फास्ट फूड काउंटर, लोहा और सीमेंट, कपड़े की दुकान, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं की दुकान इत्यादि जैसे व्यवसायों के लिए किया जा सकता है।

पात्रता :–

- प्रार्थी हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- विधवाएं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

लाभ :–

- अधिकतम ऋण सीमा 3 लाख रूपये तक।
- लाभार्थियों को कुल ऋण का 10 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा के रूप में देना होगा।
- शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी के समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज दर पर तीन वर्षो के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा अधिकतम 50 हजार रूपये जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय पर किस्तों का भुगतान न करने पर उसे सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी से सम्पर्क करें।

5.2 व्यक्तिगत ऋण योजना

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम व्यक्तिगत ऋण योजना भी लागू कर रहा है। एम.एम.ए.पी.यू.वाई के तहत प्राथमिकता वाले महिला आवेदकों के लिए, निगम आवेदन पत्र भरने, बैंक ऋण की सुविधा आदि में सहायता प्रदान करता है। इसका उपयोग सामान्य स्टोर, परचून स्टोर, सब्जी की दुकान, सौंदर्य प्रसाधन की दुकान, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं की दुकान इत्यादि जैसे व्यवसायों के लिए किया जा सकता है।

पात्रता :–

- प्रार्थी हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये तक है और जिनके पति/माता–पिता आयकर दाता नहीं है।

लाभ :–

- अधिकतम ऋण सीमा 1.50 लाख रूपये तक।
- सब्सिडी कुल ऋण का 25 प्रतिशत (अन्य श्रेणियों के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये तक और अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए अधिकतम 25 हजार रूपये तक)
- लाभार्थियों को कुल ऋण का 10 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा देना होगा।
- शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– https://saralharyana.gov.in

6.

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्

6.1 ब्यूटी केयर प्रशिक्षण

जिला बाल कल्याण परिषद् द्वारा अपने स्थापित केन्द्रों के माध्यम से ब्यूटी केयर प्रशिक्षण के अन्तर्गत मेक–अप, हेयर कटिंग, मेहन्दी इत्यादि के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी स्व–रोज़गार स्थापित कर सकता है। इसमे अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

पात्रता :–

- हरियाणा का निवासी हो।
- पढ़ना–लिखना आता हो।

लाभ :–

- प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी स्वरोज़गार कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– अपने जिले के जिला बाल कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

6.2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण

जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा अपने स्थापित केन्द्रों के माध्यम से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण द्वारा 3 माह, 6 माह व 1 वर्ष तक का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को MS Office, Software आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमे अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

पात्रता :–

- हरियाणा का निवासी हो।
- तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए 10 वीं पास तथा 6 महीने व एक साल के कोर्स के लिए 12 वीं पास होना चाहिए।

लाभ :–

- प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी स्वरोज़गार कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– अपने जिले के जिला बाल कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

6.3 सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण

जिला बाल कल्याण परिषद् द्वारा अपने स्थापित केन्द्रों के माध्यम से सिलाई एवं कढाई सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी स्व–रोज़गार स्थापित कर सकता है।

पात्रता :–

- हरियाणा का निवासी हो।
- पढ़ना–लिखना आता हो।

लाभ :–

- स्वरोज़गार स्थापित कर आवेदक अपनी आय बढ़ा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– अपने जिले के जिला बाल कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

7.

हरियाणा कौशल विकास मिशन

7.1 सूर्या योजना

''स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग ऑफ यूथ एंड असेसमेंट'' को सूर्या योजना के रूप में संक्षिप्त किया गया है। यह हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई 100% वित्तीय सहायता के साथ हरियाणा के युवाओं के लिए अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण अप–कौशल और पूर्व शिक्षा की मान्यता के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अन्तर्गत परिधान, कृषि, मोटर वाहन, बी.एफ.एस.आई., पूंजीगत सामान, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, आई.टी/आई.टी.ई.एस., जीवन विज्ञान व टेलीकॉम आदि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल श्रमिकों का विकास, श्रम बाजार की दक्षता और लचीलेपन को बढ़ाता है। स्व–रोज़गार और लघु व्यवसाय भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पात्रता :–

- आयु 16 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- संबंधित जॉब रोल हेतु आवश्यक कोई अन्य मानदंड।

लाभ :–

- आवेदक को मुफ्त में NSQF संरेखित (Aligned) जॉब रोल में ट्रेनिंग के साथ–साथ सर्टिफिकेशन व स्वरोज़गार और वेतन रोज़गार पाने में सहायता।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:–
https://parivarutthan.haryana.gov.in

7.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार (MSDE, GoI) की प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग–संबंधित कौशल प्रशिक्षण देकर आजीविका हासिल करने में मदद करना है। इस योजना के अन्तर्गत परिधान, कृषि, मोटर वाहन, सौंदर्य, बी.एफ.एस.आई.,

पूंजीगत सामान, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, आई.टी./आई.टी.ई.एस., जीवन विज्ञान व टेलीकॉम आदि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

पात्रता :–

- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आयु 14 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- संबंधित जॉब रोल हेतु आवश्यक कोई अन्य मानदंड।

लाभ :–

- आवेदक को मुफ्त में NSQF संरेखित (Aligned) जॉब रोल में ट्रेनिंग के साथ–साथ सर्टिफिकेशन व स्वरोज़गार और वेतन रोज़गार पाने में सहायता।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:–
https://parivarutthan.haryana.gov.in

7.3 चालक प्रशिक्षण

इस योजना के अंतर्गत सी.एम.वी. 1989 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार हल्के वाणिज्यिक वाहन तथा भारी वाणिज्यिक वाहन ड्राईवर कोर्स के लिए थ्योरी एवं प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाता है।

पात्रता:–

- प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- प्रार्थी के पास लाईट मोटर व्हीकल लाईसेंस होना चाहिए।
- प्रार्थी कम से कम 8वीं पास हो।
- भारी मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण योजना के लिए परिवहन विभाग, हरियाणा के साथ अनिवार्य पंजीकरण।

लाभ:

- हल्के वाणिज्यिक वाहन तथा भारी वाणिज्यिक वाहन ड्राईवर कोर्स के साथ स्वरोज़गार में सहायता।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:–
https://parivarutthan.haryana.gov.in

8.
रोज़गार विभाग

8.1 सक्षम युवा योजना

हरियाणा सरकार शिक्षित युवाओं के सम्मान को महत्व देते हुए उन्हें लाभदायक कार्यों में लगाने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए सरकार ने शिक्षित युवा भत्ता व मानदेय योजना–2016, जो कि सक्षम युवा योजना के नाम से जानी जाती है, को हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव पर 01 नवंबर, 2016 को पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता व 100 घंटे मानद कार्य के लिए मानदेय प्रदान करने के लिए शुरू की गई। बाद में इस योजना के तहत राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष और वाणिज्य स्नातकों व कला स्नातकों को शामिल कर लिया गया है। अगस्त 2019 से 10+2 पास प्राथियों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया। इस योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3,000/–रू0, पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1,500/–रू. तथा पात्र 10+2 पास बेरोजगारों को 900/–रू0 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एंव सभी पात्र स्नातकोत्तर, स्नातक, एवं 10+2 पास प्रार्थियों को 100 घंटे मानद कार्य करने की एवज में 6,000/–रू. प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है।

पात्रताः–

- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक सम्बन्धित रोजगार कार्यालय के लाईव रजिस्टर पर पंजीकृत होना चाहिए। यदि 10+2, स्नातक/स्नातकोत्तर आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है तो विभाग की वेबसाईट https://hrex.gov.in पर अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है।
- पात्र स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री केवल पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यू.टी. चंडीगढ या एन. सी.टी. दिल्ली या हरियाणा में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।
- आवेदक द्वारा 10+2 परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड दिल्ली और आई.सी.एस.ई. बोर्ड, दिल्ली से संबद्ध मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होनी चाहिए, जो हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ में ही स्थित हो।
- आवेदक की 10+2 परीक्षा पत्राचार और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से उर्त्तीण नहीं होनी चाहिए।

- आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री पत्राचार से उत्तीर्ण नही होनी चाहिए।
- आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।
- आवेदक किसी भी तरह के रोजगार जैसे कि सार्वजनिक, निजी क्षेत्र/अर्ध–सरकारी और स्व–रोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए।
- 10+2 के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष और स्नात्तक/स्नातकोत्तर की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रूपये से अधिक न हो।
- मानदेय का भुगतान अधिकतम 3 वर्ष या 35 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

लाभः–

- बेरोजगारी भत्ता (पात्र स्नातकोत्तर को 3000 रूपये प्रतिमाह, पात्र स्नातक को 1500 रूपये प्रतिमाह एवं पात्र 10+2 को 900 रूपये प्रतिमाह)
- मानदेय स्नात्तक/स्नातकोत्तर/10+2 को अधिकतम 6000 रूपये 100 घण्टे मानद कार्य के एवज में)

अधिक जानकारी के लिए विभाग की Website देखेंः– https://hreyahs.gov.in

8.2 मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (MMAPUY) के अंतर्गत निजी क्षेत्र में रोजगार

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (MMAPUY) के अंतर्गत राज्य के निर्धनतम परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय शुरू में 1.00 लाख रूपये और बाद में 1.80 लाख रूपये तक बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु रोजगार विभाग, हरियाणा द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार के इच्छुक प्रार्थियों को निजी, नियोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें उनकी योग्यता व कौशल अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाते है।

9.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय

9.1 प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए नए ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) की उद्घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना, ग्रामीण जनता में आत्मनिर्भरता व सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह मौजूदा इकाइयों के लिए नहीं है।

पात्रता:–

- प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कोई आय सीमा नहीं होगी।
- मौजूदा इकाइयां और वे इकाइयां, जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है, योग्य नहीं होंगे।

लाभ:–

- निर्माण क्षेत्र में सब्सिडी की राशि, स्वीकृत परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रूपये है और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 20 लाख रूपये है।
- कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंको द्वारा अवधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।

पी.एम.ई.जी.पी. में विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों का योगदान, सब्सिडी की दर व क्षेत्रवार विवरण:–

- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों का योगदान 10 प्रतिशत परियोजना लागत का।
- विशेष श्रेणी (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक) के लाभार्थियों का योगदान 5 प्रतिशत परियोजना लागत का।
- ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य श्रेणी को सब्सिडी – 25 प्रतिशत
- ग्रामीण क्षेत्र में विशेष श्रेणी को सब्सिडी – 35 प्रतिशत
- शहर क्षेत्र में सामान्य श्रेण को सब्सिडी – 15 प्रतिशत
- शहर क्षेत्र में विशेष श्रेण को सब्सिडी – 25 प्रतिशत

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:–
https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal

9.2 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना

इस योजना का उद्देश्य है असंगठित खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड–होल्डिंग सहायता सेवाओं के मध्यम से उद्यमियों का क्षमता निर्माण होता है। मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाने में सहायता की जाती है। साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी मदद की जाती है।

पात्रता:–

- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कम से कम आठवीं पास होना चाहिए।
- उद्यम के स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म।
- एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस उद्देश्य के लिए परिवार में स्वंय, पति या पत्नी और बच्चे शामिल होंगे।

लाभ:–

- मौजूदा असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उन्नयन के लिए, अधिकतम 10 लाख रूपये तक अनुदान के साथ परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट।
- स्वंय सहायता समूहों/एफ.पी.ओ./सहकारिताओं को निर्धारित पूंजीगत व्यय की अधिकतम सीमा के साथ, परियोजना लागत के 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान।
- खाद्य प्रसंस्करण में लगे लोगों को एक कार्यशील पूंजी व बीज पूंजी के रूप में 40 हजार रूपये प्रति सदस्य दिए जाते हैं।
- साझे बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट लिंक्ड अनुदान निर्धारित के अनुसार अधिकतम सीमा।
- निर्धारित सीमा के अनुसार, विपणन व ब्रांडिंग के लिए खर्च के 50 प्रतिशत तक की सहायता।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:–
https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login

10.
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड

10.1 हर–हित रिटेल स्टोर

हर हित हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक फ्रैंचाइज़ी योजना है । जिसका उद्देश्य राज्य में उद्यमियता को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, ग्राहक लाभ योजनाओं को दरवाजे पर बढ़ावा देना और स्टार्ट–अप, एम.एस.एम.ई., एफ.पी.ओ.और एस.एच.जी.को मजबूत करना है। इसके तहत, आवेदक हर हित फ्रैंचाइज़ी जनरल स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं और (HAICltd.)और व्यवसाय विकास, इन्वेंट्री प्रबंधन, मुद्रा ऋण, चार और विपणन आदि में सहायता प्रदान करता है।

पात्रता:–

- आयु 18–55 वर्ष होनी चाहिए। (केवल एमएमएपीयूवाई परिवारों के लिए)
- कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। (केवल एमएमएपीयूवाई परिवारों के लिए)
- आवेदक उसी गांव/वार्ड का निवासी हो, जहां स्टोर प्रस्तावित है।
- आवेदक गैर–आपराधिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए।
- सरकारी परियोजनाओं में दोषी न हो।
- रिटेल स्टोर के लिए कम से कम 200 वर्ग फुट या उससे अधिक की दुकान/स्थान।

  200 वर्ग फीट का स्टोर खोलने के लिए निवेश:–

  (क) प्रतिभूति जमा रू0 5,000/–

  (ख) स्टोर फिटमेंट लागत:– लगभग। रू0 70,000 से 80,000

  (ग) स्टॉक लागत:– रूपये 2,00,000/– कुल लागत:– रू0 2,70,000 से 2,80,000

  मुद्रा लोन के तहत आवेदक को स्टोर खोलने की लागत:–

  आवेदक को कुल लागत का 15% भुगतान करना होगा यानी 2,70,000/– रूपये पर 40,500 तथा 2,80,000/– रूपये पर 42,000/–

  अन्य सूचना :–

  - ❖ यदि आवेदक 5000 रूपये जमा नहीं कर सकता है तो आवेदक पोस्ट डेटेड चेक (पी. डी.सी.) दे सकता है जिसे सब्सिडी राशि से समायोजित किया जाएगा।

लाभः–

- उद्यमी बनने का अवसर।
- कम ब्याज दरों पर बिना कोलैटरल के सीड कैपिटल के रूप में मुद्रा ऋण की सहायता।
- कुल मासिक बिक्री पर 10 प्रतिशत मार्जिन।
- बेहतर स्टोर प्रबंधन के लिए पी.ओ.एस.(POS) मशीन और एकीकृत प्रणाली के लिए आई.टी सपोर्ट।
- उत्पादों पर ग्राहकों को 5 से 50 प्रतिशत तक छूट।
- फ्रेंचाइज़ी को स्टोर संचालन और व्यवसाय का प्रशिक्षण।
- फ्रेंचाइजी को 72 घंटे में निःशुल्क वितरण
- विपणन/विज्ञापन सहायता
- लगभग 200 कंपनियों के 3000 से अधिक SKU की विशाल उत्पाद रेंज
- सभी फ्रेंचाइजी स्टोरों ने डेढ़ साल के कार्यकाल में संचयी रूप से 100 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की

आवेदक को वित्तीय सहायताः–

(1) जो परिवार मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत स्टोर ले रहे हैं उन परिवार को इन्फ्रास्टरक्चर की कुल खर्च पर 50,000/– रूपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

(2) मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत स्टोर खोलने वाले को मुद्रा लोन पर ब्याज का रू0 2100/– तक प्रतिमाह हिसाब से दो साल तक सरकार बहन करेगी (दो साल तक की अधिकतम बहन राशि 50,000/– है)

अतः जो परिवार मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत आता हैं वे बहुत कम निवेश के साथ स्टोर खोल सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखेंः– https://harhith.com

11.

उद्यान विभाग

11.1 मधुमक्खी पालन

यह मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों की सहायता के लिए एक सब्सिडी योजना है। मधुमक्खी के छते और कॉलोनियों पर 85 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। आवेदक ने हरियाणा सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। एम.एम.ए.पी.यू.वाई. के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए विभाग हैंड–होल्डिंग सपोर्ट, मार्केट लिंकेज और आवेदन भरने की प्रकिया की सुविधा प्रदान करता है।

पात्रता:–

- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मधुमक्खी पालन पर सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक साप्ताहिक प्रशिक्षण का प्रमाण – पत्र।
- पिछले पांच वर्षों से 50 मधुमक्खी के छतों और 50 मधुमक्खी कॉलोनियों पर सब्सिडी न ली हो।

लाभ:–

- प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 मधुमक्खी के बक्से और 50 मधुमक्खी कॉलोनियों पर सब्सिडी।
- मधुमक्खी के बक्से पर 85 प्रतिशत सब्सिडी (1768 रूपये प्रति छत्ता)।
- मधुमक्खी के बक्से पर 85 प्रतिशत सब्सिडी (1700 रूपये प्रति मधुमक्खी कॉलोनी)।
- एक बॉक्स की कुल कीमत 2152 रूपये है, जिसमें लाभार्थी का हिस्सा 642 रूपये और सरकारी अनुदान 1768 रूपये प्रति बॉक्स है।
- एक मधुमक्खी कॉलोनी की कुल लागत 2000 रूपये है, जिसमें लाभार्थी का हिस्सा 300 रूपये और सरकारी अनुदान 1700 रूपये प्रति मधुमक्खी कॉलोनी है।

  प्रार्थी आवेदन करें:– hortnet.gov.in

11.2 मशरूम की खेती

यह बागवानी विभाग की एक सब्सिडी योजना है जिसमें 100 मशरूम ट्रे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (बटन मशरूम के अतिरिक्त) सभी जिलों में व 75 प्रतिशत सब्सिडी (बटन मशरूम) शिवालीक क्षेत्र (पंचकूला, अम्बाला व यमुनानगर) में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आवेदक को एक चक्र में राशि 45000 रूपये तक के लाभ का अनुमान लगाया जाता है।

पात्रता:–

- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
- किसान अपने स्तर पर खुम्ब के बैग कहीं से भी खरीद कर सकता है।
- अनुदान एक ही किश्त में दिया जायेगा।

लाभ:–

- प्रति लाभार्थी सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 मशरूम ट्रे।
- मशरूम ट्रे (बटन मशरूम के अतिरिक्त) पर 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी सभी जिलों में दी जा रही है जिसमें एक मशरूम ट्रे की कुल कीमत 300 रूपये व लाभार्थी का हिस्सा 150 रूपये और सरकारी अनुदान 150 रूपये है।
- मशरूम ट्रे (बटन मशरूम) पर 75 प्रतिशत सब्सिडी शिवालीक क्षेत्र (पंचकूला, अम्बाला व यमुनानगर) में प्रदान की जा रही है। जिसमें एक मशरूम ट्रे की कुल कीमत 300 रूपये व लाभार्थी का हिस्सा 75 रूपये और सरकारी अनुदान 225 रूपये है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें: http://hortharyana.gov.in/en
प्रार्थी आवेदन करें:– hortnet.gov.in

12.
मत्स्य पालन विभाग

12.1 मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों के परिवार का कल्याण

मत्स्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों के परिवार के कल्याण हेतु तालाबों की प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर, तालाबों की द्वितीय व आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर, जाल खरीद पर तथा अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की नीलामी पर वित्तीय सहायता के लिए अनुदान व मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

पात्रता:–

- प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो।

लाभ:–

- अनुसूचित जातियों के परिवारों को ग्रामीण तालाब पट्टे पर लेने उपरान्त पट्टा राशि पर लाभार्थी को 50,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा, यह अनुदान केवल पंचायती तालाबों पर मान्य होगा व अनुदान की अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर प्रति अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों के लिए होगी।
- तालाबों की द्वितीय व आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर लाभार्थी को 25,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा व अनुदान की अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर प्रति अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों के लिए होगी।
- जाल खरीद पर धनराशि 40,000/–रूपये के मछली जाल खरीद पर 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी व अनुदान की अधिकतम सीमा 20,000/–रूपये होगी।
- अनुसूचित जातियों को अनुदान में वास्तविक बोली का 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी व अनुदान की अधिकतम सीमा 3,00,000/–रूपये होगी।
- 5 दिन का प्रशिक्षण व 1100 रूपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– https://saralharyana.gov.in

12.2 मछली पालन/प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मछली पालन/प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा (PMMSY) के अन्तर्गत बेरोजगारों को मछली तालाब की खुदाई व थ्रीव्हीलर आईसबॉक्स सहित/मोटरसाईकिल/साईकिल आईसबॉक्स सहित हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रताः–

- प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो ।

लाभः–

- बेरोज़गारों नवयुवकों को निजी जमीन या लम्बी अवधि (07 वर्ष) पट्टे पर लेकर तालाब निर्माणहेतु खुदाई पर अनुसूचित जाति/महिला वर्ग के लिए 60 प्रतिशत व सामान्य जाति के वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- खाद–खुराक पर अनुसूचित जाति/महिला वर्ग के प्रार्थी को 60 प्रतिशत व सामान्य जाति के प्रार्थी को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- थ्रीव्हीलर आईसबॉक्स सहित/मोटरसाईकिल/साईकिल आईसबॉक्स सहित पर अनुसूचित जाति/महिला वर्ग के प्रार्थी को 60 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के प्रार्थी को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– https://saralharyana.gov.in

13.
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

13.1 दीनदयाल अंत्योदय योजना

इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में गरीब घरों की कम–से–कम एक महिला प्रति परिवार को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़ा जाता है। ग्रामीण गरीब परिवार के युवाओं एवं महिलाओं को उनके कौशल अनुसार प्रशिक्षण देकर स्व–रोजगार को बढ़ाना है। एम.एम.ए.पी.यू.वाई. के अंतर्गत, अंत्योदय परिवारों को इन योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है।

पात्रता:–

- लाभार्थी हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का स्थाई निवासी हो।
- 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच आयु हो
- ग्रामीण इलाकों में गरीब घरों की प्रति परिवार कम से कम एक महिला को स्वंय सहायता समूह से जोड़ना।

लाभ:–

- ग्रामीण महिलाओं को स्वंय सहायता समूह में जोड़कर आत्मनिर्भर बनाता है
- स्वंय सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड से 20 हजार रूपये और सामुदायिक निवेश कोष से 50 हजार रूपये प्रति स्वंय सहायता समूह वित्तीय सहायता।
- आजीविका के लिए समूह के द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध करवाना

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें www.hsrlm.gov.in:– जिला कार्यक्रम प्रबंधक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

13.2 दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल योजना

पात्रता:–

- लाभार्थी हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का स्थाई निवासी हो।
- लाभार्थी 18 से 35 वर्ष का होना चाहिए।
- लाभार्थी बी.पी.एल. कार्ड धारक हो।

- बी.पी.एल. कार्ड धारक, मनरेगा जॉब कार्ड धारक या स्वंय सहायता समूह के सदस्य को प्राथमिकता।
- उपेक्षित जनजातीय समूह के व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य विशेष समूह, जिनमें पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूर, अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्ति, सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, एच.आई.वी. से पीड़ित व्यक्ति आदि शामिल हैं, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

लाभः–

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बी.पी.एल. कार्ड धारक बरोज़गार युवक–युवतियों को हुनर और कौशल देकर सशक्त बनाना और स्वरोज़गार से जोड़ना

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– https://kaushalpanjee.nic.in

13.3 ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की स्थापना केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास और काम धंधें को सुलभ कराना है। ये सस्थाएं ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण और कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक गुणवत्ता पूर्ण एवं मुफ्त आवासीय/दैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती हैं और उन्हें रोजगार में लगने में सहायता करती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने एवं कौशल को बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा और सिंडिकेट बैंक द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, इन प्रशिक्षण उम्मीदवारों को उनकी आजीविका कमाने के लिए बैंक ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता हैं। एम.एम.ए.पी.यू.वाई. के अंतर्गत, अंत्योदय परिवारों को इन योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है।

पात्रताः–

- प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।

लाभः–

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास और काम धंधे को सुलभ कराना।

- गुणवत्ता पूर्ण एवं मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण के साथ रोज़गार में सहायता।
- प्रशिक्षित उम्मीदवारों को आजीविका कमाने के लिए बैंक ऋण की सुविधा।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– https://kaushalpanjee.nic.in

14.
ग्रामीण विकास विभाग

14.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा)

इस योजना का उद्देश्य प्रेत्यक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते है, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। योजना के तहत तालाब, नर्सरी, पार्क, वर्मी कम्पोस्ट, पशुशैड इत्यादि बनाने का कार्य किया जाता है।

पात्रता :

- आवदेक परिवार का वयस्क सदस्य हो।
- आवदेक परिवार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में स्थानीय निवासी हो।
- आवदेक अकशुल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो।

लाभः–

- एक वित्त वर्ष मे 100 दिन का गारण्टीड रोज़गार।
- दिनांक 01.04.2022 से दैनिक मज़दूरी 357/– रूपये, (जोकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है तथा प्रति वर्ष संशोधित की जाती है।)

अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट देखें– www.haryanarural.gov.in
या प्रार्थी सम्बन्धित ग्राम पंचायत से सम्पर्क कर सकते है।

15.

हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी

15.1 होम नर्सिंग प्रशिक्षण

हरियाणा रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा जिला स्तर पर स्थापित जिला रेड क्रॉस सोसायटी केन्द्रों के माध्यम से होम नर्सिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य रोगी सदस्य को उसके घर पर होम नर्सिंग सहायता प्रदान करना है। अस्पतालों में व घरों में रोगी देख भाल व अटेंडेट सेवाओं की आवश्यकता होती है। एम.एम.ए.पी.यू.वाई. के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए, सोसायटी प्रशिक्षुओं को प्रासंगिक नौकरी के अवसरों से जोड़ने में भी मदद करती है।

पात्रता:–

- प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी को certificate के लिए 1,000 रूपये देना होगा।

लाभ:–

- प्रशिक्षण उपरान्त सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र दिया जाता है।
- सफल प्रशिक्षणार्थियों को जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा रोज़गार के अवसर प्रदान किये जाते है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– https://www.haryanaredcross.in

16.
इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

16.1 कॉमन सर्विस सेंटर

यह डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत मिशन मोड प्रॉजेक्ट है जिसका उद्देश्य ग्रामीण व दूरवर्ती इलाकों को सेवा प्रदान करना है। (यह सरकार व निजी क्षेत्र का PPP मोड का प्रॉजेक्ट है) CSC सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे–शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य संबंधी आदि। इस योजना को एम.एम.ए.पी.यू.वाई. के तहत प्राथमिकता दी गई है और जो व्यक्ति 10वीं कक्षा पास हैं, उनके पास लैपटॉप/कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसके लिए आवेदन कर सकता है। उद्यमी मानसिकता वाले और डिजिटल ज्ञान के लिए युवा आमतौर पर इस योजना के लिए उपयुक्त होते हैं।

पात्रताः–

- प्रार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18 वर्ष तथा न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास हो।
- प्रार्थी को कम्प्यूटर की आवश्यक जानकारी हो।
- प्रार्थी के पास आधारभूत संसाधन जैसे 100 वर्ग फुट का कमरा, एक कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, यू.पी. एस. स्कैनर आदि हो।

लाभः–

- प्रार्थी स्वरोज़गार आरम्भ कर सकता है।
- प्रार्थी सरकारी सेवाओं, आधार, बैकिंग, रेल आरक्षण, फोटो कॉपी सुविधा, ऑनलाईन आवेदन फार्म भरना आदि कार्यों से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– https://register.csc.gov.in

17.
शहरी स्थानीय निकाय विभाग

17.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

इस मिशन के अंतर्गत सुदृढ़ आधारभूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों की गरीबी को लाभकारी स्वरोजगारों एवं कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक उन की पहुंच को सुलभ बनाकर उन की आजीविका में स्थायी सुधार करना है। मिशन विभिन्न चरणों में शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एंव आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

पात्रताः–

- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक हो।

लाभः–

- स्वरोज़गार व कौशल आधारित रोज़गार के अवसर पैदा करना।
- एकल लाभार्थी दो लाख रूपये तथा समूह दस लाख रूपये तक का बैंक से ब्याज अनुदानित ऋण दिया जाता है। ब्याज की 7 प्रतिशत दर से उपर की ब्याज दर योजना द्वारा वहन की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:– निकटतम MC ऑफिस में सम्पर्क करें।

17.2 पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना (पी.एम. स्वनिधि)

पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और ये पथ विक्रेता शहर में रहने वाले लोगों के घरों तक किफायती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पथ विक्रेताओं को भिन्न–भिन्न क्षेत्रों/संदर्भ में वेंडर, खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन पथ विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकोड़े, ब्रेड, अण्डे, वस्त्र, परिधान, जूते–चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें/लेखन सामग्री आदि शामिल होती हैं। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, लॉंड्री सेवाएं इत्यादि भी शामिल हैं। इसके तहत 10,000/–रू0 तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता प्रदान की जाती है।

अगर लाभार्थी ने समय पर पुर्नभुगतान किया तो वह 20,000/–रू0 और उसके बाद 50,000 के ऋण के लिए भी अप्लाई कर सकता है।

पात्रता:–

- ऐसे पथ विक्रेता, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान–पत्र है।
- ऐसे विक्रेता, जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है परन्तु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान–पत्र जारी नहीं किया गया है।
- ऐसे पथ विक्रेता, जो शहरी स्थानीय निकाय आधारित पहचान सर्वेक्षण में छूट गए थे अथवा जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात बिक्री का कार्य शुरू कर दिया है एवं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/टाउन वेंडिंग कमेटी (टी.बी.सी.) द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।
- ऐसे विक्रेता, जो आस–पास के विकास/परिनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिक्री कर रहे हैं और जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।

लाभ:–

- शहरी पथ विक्रेता 1 वर्ष की अवधि के लिए 10 हजार रूपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे।
- समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता सबंर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी (20 हजार व 50 हजार रूपये) ऋण के पात्र होंगे।
- योजना के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थी, केंद्र द्वारा 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी और राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र है। इस प्रकार योजना का लाभार्थी कुल 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी लाभ का पात्र होगा।
- एक महीने मे रू 1.00 से अधिकतम रू 100.00 तक की राशि का कैशबैक पहली 100 डीजीटल लेनदेन (आवक/जावक) पर प्राप्त होने का प्रावधान है
- **अधिक जानकारी के लिए विभाग की website देखें:–** https://register.csc.gov.in

18.

विकास एवं पंचायत विभाग

18.1 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

इस योजना के तहत जिला प्रशासन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्य करता है। विभाग इन ठेकेदारों को एम.एम.ए.पी.यू.वाई. लाभार्थियों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके पास स्थानीय मजदूर हो सकें और लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर मिल सकें।

पात्रता:–

- उम्र 18 वर्ष से अधिक।
- अकुशल श्रमिक के रूप में विभिन्न विकास कार्य से संबंधित योजनाओं के तहत कार्य।

लाभ:–

13,500/- रुपये प्रतिमाह

18.2 हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

इस योजना के तहत जिला प्रशासन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्य करता है। विभाग इन ठेकेदारों को एम.एम.ए.पी.यू.वाई. लाभार्थियों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके पास स्थानीय मजदूर हो सकें और लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर मिल सकें।

पात्रता:–

- उम्र 18 वर्ष से अधिक।
- अकुशल श्रमिक के रूप में विभिन्न विकास कार्य से संबंधित योजनाओं के तहत कार्य।

लाभ:–

13,500/- रुपये प्रतिमाह

18.3 नाबार्ड प्रायोजित कार्य

इस योजना के तहत जिला प्रशासन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्य करता है। विभाग इन ठेकेदारों को एम.एम.ए.पी.यू.वाई. लाभार्थियों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके पास स्थानीय मजदूर हो सकें और लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर मिल सकें।

पात्रता:–

- उम्र 18 वर्ष से अधिक।
- अकुशल श्रमिक के रूप में विभिन्न विकास कार्य से संबंधित योजनाओं के तहत कार्य।

लाभ:–

13,500/- रुपये प्रतिमाह

18.4 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासनिक बोर्ड कार्य

इस योजना के तहत जिला प्रशासन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्य करता है। विभाग इन ठेकेदारों को एम.एम.ए.पी.यू.वाई. लाभार्थियों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके पास स्थानीय मजदूर हो सकें और लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर मिल सकें।

पात्रता:–

- उम्र 18 वर्ष से अधिक।
- अकुशल श्रमिक के रूप में विभिन्न विकास कार्य से संबंधित योजनाओं के तहत कार्य।

लाभ:–

13,500/- रुपये प्रतिमाह

18.5 ग्रामनिधि, पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान और राज्य वित्त आयोग अनुदान कार्य

इस योजना के तहत जिला प्रशासन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्य करता है। विभाग इन ठेकेदारों को एम.एम.ए.पी.यू.वाई. लाभार्थियों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके पास स्थानीय मजदूर हो सकें और लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर मिल सकें।

पात्रता:–

- उम्र 18 वर्ष से अधिक।
- अकुशल श्रमिक के रूप में विभिन्न विकास कार्य से संबंधित योजनाओं के तहत कार्य।

लाभ:–

13,500/- रुपये प्रतिमाह

18.6 हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जलप्रबंधन प्राधिकरण के तहत तालाब जीर्णोद्धार कार्य

इस योजना के तहत जिला प्रशासन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्य करता है। विभाग इन ठेकेदारों को एम.एम.ए.पी.यू.वाई. लाभार्थियों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके पास स्थानीय मजदूर हो सकें और लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर मिल सकें।

पात्रता:–

- उम्र 18 वर्ष से अधिक।
- अकुशल श्रमिक के रूप में विभिन्न विकास कार्य से संबंधित योजनाओं के तहत कार्य।

लाभ:–

13,500/- रुपये प्रतिमाह

18.7 महिला एवं बाल विकास, खेल, पशुपालन आदि विभिन्न विभागों के जमा कार्य

इस योजना के तहत जिला प्रशासन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्य करता है। विभाग इन ठेकेदारों को एम.एम.ए.पी.यू.वाई. लाभार्थियों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके पास स्थानीय मजदूर हो सकें और लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर मिल सकें।

पात्रता:–

- उम्र 18 वर्ष से अधिक।
- अकुशल श्रमिक के रूप में विभिन्न विकास कार्य से संबंधित योजनाओं के तहत कार्य।

लाभ:–

13,500/- रुपये प्रतिमाह

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना,
हरियाणा सरकार

आपका स्वागत है,

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, हरियाणा सरकार की एक पहल है जिसके तहत राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोज़गार और रोज़गार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय शुरू में 1.00 लाख रू0 और बाद में 1.80 लाख रू0 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।

श्री मनोहर लाल
माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा

Download for Android

Scheme Description Template

Download Scheme Booklet

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:–

https://parivarutthan.haryana.gov.in/